न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सख्या : 79/2018

1. मोहनलाल पुत्र भैरूलाल जाति मीणा निवासी कूण्डला तहसील मांगरोल जिला बारां
2. बाल किशन पुत्र भैरूलाल जाति मीणा निवासी कूण्डला तहसील मांगरोल जिला बारां
3. रामभरोसी उर्फ रितु कुमारी पत्नि अशोक कुमार जाति मीणा निवासी कूण्डला तहसील मांगरोल जिला बारां

—वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

—प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92(ए) आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादीगण :— श्री अजीत कुमार जैन
दायरा दिनांकः 13.07.2018 निर्णय दिनांक : 11.01.2019

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है वादी कम 1 व 2 के वर्तमान जमाबंदी ग्राम कुशिया तहसील मांगरोल में खसरा नं0 66 रकबा 2.66 है0, खसरा नं0 88 रकबा 2.73 है0, खसरा नं0 298 रकबा 0.42 है0 कुल किता 3 रकबा 5.81 है0 भूमि बतौर खातेदार कृषक दर्ज है। जो पूर्व में फूला बाई के नाम दर्ज थी। वादिया कम 3 के वर्तमान जमाबंदी ग्राम कुशिया तहसील मांगरोल में खसरा नं0 66/401 रकबा 2.66 है0 भूमि बतौर खातेदार कृषक दर्ज है। साबिक जमाबंदी सम्वत 2037—40 में खाता संख्या 48 खसरा नं0 16 रकबा 36 बीघा 19 बिस्वा भमि बालकिशन, मोहनलाल पुत्रान भैरूलाल व जगन्नाथी व फूला बेवा भैरूलाल हिस्सा 1/2 व रामरण वल्द रंगलाल राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। जिसका सेटलमेंट विभाग ने सेटलमेंट करते हुये खसरा नं0 16 रकबा 36 बीघा 19 बिस्वा के स्थान पर खसरा नं0 66 रकबा 5.32 है0 यानि 33 बीघा 4 बिस्वा कायम किया इस प्रकार उक्त रकबे में 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि कम दर्ज की लेकिन वक्त हिस्सा बंटवारा खसरा नं0 66 के दो टूकडे करते हुये खसरा नं0 66 की भूमि 2.66 है0 वादी कम 1 व 2 व 2.66 है0 भूमि वादिया कम 3 के खाते दर्ज वर्तमान में कम दर्ज कर दी गयी। जिसको वादीगण दुरूस्त करवाकर रकबा 5.32 है0 के स्थान पर यानि 33 बीघा 4 बिस्वा के स्थान पर पुनः 36 बीघा 19 बिस्वा दर्ज करवा पानें की अधिकारी है। तथा वादियान कम 1, 2 व 3 के वर्तमान राजस्व रेकार्ड हाल जमाबंदी में कमी रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा यानि 0.62 है0 बराबर—बराबर 0.31—0.31 है0 वर्तमान जमाबंदी में दर्ज करवा पाने की अधिकारणी है। वादी कम 1 व 2 के वर्तमान जमाबंदी में खसरा नं0 298 रकबा 0.42 है0 दर्ज है जबकि खसरा नं0 298 रकबा 0.42 है0 साबिक जमाबंदी सम्वत 2037—40 में साबिक खसरा नं0

रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा भूमि दर्ज थी। इस प्रकार सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा वक्त सेटलमेंट उक्त रकबा 0.25 हे0 कम दर्ज किया है। वादिया कम 1, 2 उक्त खसरा नं0 270 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा के अनुसार खसरा नं0 298 रकबा 0.42 है0 के स्थान पर रकबा 0.67 है0 दर्ज करवाकर स्वयं को खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है। वादीगण का समीपस्थ खसरा नं0 66/392 रकबा 2.66 है0 वर्तमान में सिवायचक है जिसमें से वादीगण के नाम कम दर्ज की गई भूमि रकबा 0.31–0.31 है0 वर्तमान रकबे में बढोत्तरी कर वादीगण का रकबा पूरा किया जा सकता है इसी प्रकार खसरा नं0 298 रकबा 0.42 है0 का रकबा भी वादी कम 1 व 2 के खाते का रकबा भी हाल नक्शा व गत नक्शा बराबर होने से बढाया जा सकता है। जिसके वादी कानूनन अधिकारी है। अतः ग्राम कुशिया तहसील मांगरोल में स्थित भूमि जिसके वर्तमान खसरा नं0 66 रकबा 2.66 है0 जो वादी कम 1, 2 के खाते दर्ज है में तथा खसरा नं0 66/401 रकबा 2.66 है0 जो वर्तमान में वादिया कम 3 के खाते दर्ज है जिसको सम्पूर्ण रकबा 5.32 है0 जिसको साबिक खसरा नं0 16 रकबा 36 बीघा 19 बिस्वा के अनुसार गत रकबे के मुकाबले वर्तमान रकबे में की गई कमी 0.62 हे0 की बढोत्तरी की जाकर वर्तमान रकबे में 0.31–0.31 है0 की बढोतरी की जाकर वादीगण का वर्तमान रकबा 2.66 है0 के स्थान पर रकबा 2.97–2.97 है0 दर्ज किया जाकर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावें। वादी कम 1, 2 के खाते दर्ज वर्तमान खसरा नं0 298 रकबा 0.42 है0 गत रकबे अनुसार 3 बीघा 19 बिस्वा के अनुसार वर्तमान रकबे में 0.25 है0 की बढोतरी की जाकर वर्तमान खसरा नं0 298 का रकबा 0.42 है0 के स्थान पर 0.67 है0 दर्ज किया जाकर वादी कम 1, 2 को खातेदार घोषित किया जावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 13.07.2018 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है द्वारा दिनांक 10.01.2019 को उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल (लेण्ड होल्डर) की ओर से जवाब दावा वाद पत्र बिन्दुवार निम्न प्रकार हैः–

1. वाद पत्र की बिन्दु सं0 1 आंशिक स्वीकार है। आराजी रेकार्डेड होना स्वीकार है।
2. वाद पत्र की बिन्दु सं0 2 आंशिक स्वीकार है। आराजी रेकार्डेड होना स्वीकार है।
3. वाद पत्र की बिन्दु सं0 3 स्वीकार है।
4. वाद पत्र की बिन्दु सं0 4 स्वीकार है।
5. वाद पत्र की बिन्दु सं0 5 स्वीकार है।
6. वाद पत्र की बिन्दु सं0 6, 7, 8 व 9 कानूनी है।

विशेष निवेदनः–

यह है कि पटवार हल्का किशनपुरा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम कूश्या में पुराने भू–प्रबंध के अनुसार खातेदार बालकिशन, मोहनलाल पि0 भैरूलाल जगन्नाथी, फूला बेवा भैरूलाल मीणा व बालकिशन वगै0 हिस्सा 1/2 रामकरण व रंगलाल हिस्सा 1/2 जाति मीणा निवासी कूण्डला के कमशः खसरा नं0 270 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा व खसरा नं0 16 रकबा 36 बीघा 19 बिस्वा खाते दर्ज थी। किन्तु वर्तमान में नवीन भू–प्रबंध विभाग द्वारा सम्वत 2044–63 का रेकार्ड पेश किया जिसमें रकबा कर दिये जाने संबंधित वाद जो धारा 88, 89, 90, 91, 92(ए) आर0टी0एक्ट0 के तहत वाद पत्र पेश किया जिसकी जांच करवाई गयी। पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट व प्रस्तुत रेकार्ड का अवलोकन करने पर पाया कि साबिक खसरा नं0 16 रकबा 36 बीघा 19 बिस्वा जिसका हैक्टर 5.94 बनता है। किन्तु नवीन भू–प्रबंध विभाग द्वारा 5.32 है0 ही रकबा दर्ज किया। इस प्रकार 0.62 है0 भूमि कम दर्ज की गयी। इसी प्रकार खसरा नं0 270 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा का 0.42 है0 दर्ज किया जबकि 0.60 है0 दर्ज होना था। इस प्रकार इस खसरा नम्बर में भी 0.18 है0 भूमि कम दर्ज की। वर्तमान रेकार्ड का मिलान करने पर पुराने खसरा नं0 16 से हाल खसरा नं0 66 व 66/392 नम्बर बना है। खसरा नं0 66/392 रकबा 2.66 है0 वर्तमान जमाबंदी में सिवायचक दर्ज है। अतः पुराने खसरा नं0 16 हाल नम्बर 66 में कमी रकबा 0.62 है0 की पूर्ति हाल खसरा नं0 66/392 में से की जा सकती है। वर्तमान में उक्त खसरा नं0 बंटवारा होकर मोहनलाल, बालकिशन पि0 भैरूलाल निवासी कुण्डला खसरा नं0 66 (उत्तरी) रकबा 2.66 है0 व रामभरोसी उर्फ रितु कुमारी पत्नि अशोक कुमार मीणा निवासी कूण्डला खसरा नं0 66/401 रकबा 2.66 है0 दर्ज है। इस प्रकार दोनो खातेदारो के 0.62 है0 की कमी पूर्ति हाल खसरा नम्बर 266 रकबा 3.92 है0 में से की जा सकती है। तथा खसरा नं0 270 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा जिसके वर्तमान में खसरा नं0 298 रकबा 0.42 है0 दर्ज किया है। इस प्रकार 0.18 है0 कम दर्ज किया है। किन्तु गत नक्शा व हाल नक्शा बराबर होने से इसकी पूर्ति रकबा बढा कर की जा सकती है। इस प्रकार साबिक खसरा नं0 16 हाल 66 की पूर्ति हाल खसरा नं0 66/392 से एवं खसरा नं0 298 का रकबा बढाकर की जा सकती है। अतः रिपोर्ट अनुसार रकबे की क्षतिपूर्ति करने की अभिशंषा की जाने हेतु रिपोर्ट सेवा में सादर प्रेषित है।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन व मनन व गहन अध्ययन किया गया। प्रकरण में बहस फाईनल उभयपक्ष दिनांक 10.01.2019 को सुनी गयी। वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यो को ही दौराने बहस दोहराया। प्रतिवादी राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) ने भी अपनी बहस के दौरान उन्ही तथ्यो का कथन किया है जिनका उनके द्वारा अपने जवाब दावे में अंकन किया गया है। प्रकरण में संलग्न दस्तावेज व प्रतिवादी राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) के विस्तृत जवाब दावे एवं बहस फाईनल दिनांक 10.01.2019 के प्रकाश में वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम कुश्यिा की वर्तमान जमाबंदी सम्वत

2070–2073 की खाता संख्या नयी 48 पुरानी 46 की आराजी खसरा नं0 66 उत्तरी रकबा 2.66 है0 जो वादी क्रम 1 व 2 के खाते दर्ज है में दौराने सेटलमेंट हुयी कमी रकबा 0.31 है0 व खाता संख्या नयी 98 पुरानी 91 की आराजी खसरा नं0 66/401 का रकबा 2.66 है0 जो वादी क्रम 3 के खाते दर्ज है में दौराने सेटलमेंट हुयी कमी रकबा 0.31 है0 कुल रकबा 0.62 है0 आराजी की पूर्ति साबिक खसरा नं0 66 रकबा 36 बीघा 19 बिस्वा से दौराने सेटलमेंट बनाये सरकारी सिवायचक खाते में दर्ज खसरा नं0 66/392 रकबा 2.66 है0 से की जाकर ग्राम कुश्या की वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2070–2073 की खाता संख्या नयी 48 पुरानी 46 की आराजी खसरा नं0 66 उत्तरी रकबा 2.97 है0 व खाता संख्या नयी 98 पुरानी 91 की आराजी खसरा नं0 66/401 का रकबा 2.97 है0 दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। व उक्त रकबे की कमी पूर्ति सरकारी सिवायचक खाते से किये जाने के उपरान्त आराजी खसरा नं0 66/392 का रकबा 2.04 है0 राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। खसरा नं0 270 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा जिसके वर्तमान में खसरा नं0 298 रकबा 0.42 है0 दर्ज किया है इस प्रकार उक्त रकबे में 0.18 है0 की कमी हुयी है, किन्तु गत नक्शा व हाल नक्शा बराबर हाने से इसकी पूर्ति रकबा बढा कर की जा सकती हैं। तहसीलदार मांगरोल उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2019 को सरेईजलास मजमेंआम में सुना